कार्यालय अपीलेट अधिकारी(संभागीय आयुक्त, जयपुर)

अपील सख्याः—2022/601

1. नन्दराज स्वामी पुत्र श्री कल्याणदास निवासी ग्राम शंकरपुरा पोस्ट काजीपुरा तहसील बस्सी वाया कोटखावदा जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी, (अति.संभागीय आयुक्त जयपुर।)

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 05.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आवेदन पत्र दिनांक 26.07.2022 मय प्रोसेस फीस 10/— दस रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर नम्बर 59एफ 224262 असल संलग्न कर पंजीकृत डाक से भेजा गया लेकिन आज तक कोई सूचना नही दी गई है। इसलिये प्रथम अपील स्वीकार कर समस्त सूचना बिन्दुवार निःशुल्क दिलाई जावें।

रेस्पोडेन्ट ने अपने पत्रांक एफ19(1)()प्रकोष्ठ/संआज/2022/669 दिनांक 17.11.2022 में अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय को आवेदक की खातेदारी जमीन ग्राम पंचायत मूण्डली शंकरपुरा 2004 से न्यायालय बस्सी द्वारा स्टे एवं न्यायालय की डिक्री के बावजूद सरपंच द्वारा जबरन रोड़ खसरा नम्बर 94/2 में निकालने की शिकायत दिनांक 22.06.2021 के क्रम में सूचना चाही गई है उक्त आवेदन पत्र के क्रम में कार्यालय में आवक रजिस्टर का दिनांक 22.06.2021 से आगे एक माह तक अवलोकन किया गया, उक्त डाक आवक शाखा में अप्राप्त है जिसके क्रम में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 551 दिनांक 30.08.2022 को जरिये रजिटर्ड डाक अपीलार्थी का सूचित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2021 कार्यालय में प्राप्त नही होने के कारण सूचना नही दी जा सकती कृपया अपील खारिज करने का श्रम करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2021 छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने पर तत्कालीन संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर ही प्रकरण में कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी को निर्देश दिये गये है जो प्रार्थना पत्र संभवतया मूल ही उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया गया है। ऐसी

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में चाही गई वांछित सूचना हेतु अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष आवेदन किया जाना चाहिये तथा अपीलार्थी का उक्त शिकायती पत्र दिनांक 26.06.2021 जब कार्यालय हाजा की आवक शाखा में दर्ज नही हुआ है तथा कार्यालय में उपलब्ध ही नही है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव ही नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है

5/12/22

(अन्तरसिंह नेहरा)
अपीलेट अधिकारी
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।